

प्रेस नोट दिनांक 20.06.2021

इटावा पुलिस द्वारा थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत सेंगुर नदी के किनारे मिले गौवंश के अवशेषों की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गौकशी में प्रयुक्त उपकरणों सहित किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में गौ तस्करी के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ० बृजेश कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के कुशल मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस द्वारा दिनांक 11.06.2021 को थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत सेंगुर नदी किनारे मिले गौवंश अवशेषों की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गौकशी में प्रयुक्त उपकरणों/ हथियारों सहित गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.06.2021 को थाना बकेवर पुलिस को थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खितौरा के पास सेगुर नदी किनारे कॉफी मात्रा में गौवंश के अवशेष पडे होने की सूचना प्राप्त हुए थी । सूचना के आधार पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया तथा घटना के संबंध में उच्चाधिकारियों द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण कर संबंधित को निर्देशित किया गया । प्राप्त गौवंश अवशेषों के संबंध में थाना बकेवर पुलिस द्वारा तत्काल थाना बकेवर पर मु०अ०सं० 273/21 धारा 3/8 गौवध निवारण अधि० अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा क्षेत्राधिकारी भरथना को गौकशी की घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था । क्षेत्राधिकारी भरथना द्वारा थाना बकेवर से टीम गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही थी जिसमें पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन एवं लोगो से जानकारी करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिशें दी जा रही थी जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 20.06.2021 को संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चैकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों को थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खितौरा के पास गंधू बाबा स्थल के सामने सडक पार बीहडों से गौकशी करने के लिए एकत्रित होकर रणनीति बनाते समय अवैध असलहा, गौकशी में प्रयुक्त हथियार सहित गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस पूछताछ- गिरफ्तार अभियुक्तों से गौकशी के संबंध में पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.06.2021 को ग्राम खितौरा के पास सेंगुर नदी के किनारे पर हमारे द्वारा गौकशी की गई थी ।

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद अवैध असलहा/ हथियारों के संबंध में थाना बकेवर पर मु०अ०सं० 287/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, मु०अ०सं० 288/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामपाल सिंह यादव पुत्र रामस्वरूप नि० ग्राम खितौरा थाना बकेवर इटावा ।
2. आमीन उर्फ राजू कुरैशी पुत्र अब्दुल सलाम नि० मो० अम्बेडकरनगर थाना बकेवर इटावा

3. बॉबी पुत्र नईम नि० इस्लामपुर बाबरपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया ।

बरामदगी-

1. 07 अवैध चाकू/ बांका (गौकशी में प्रयुक्त)
2. 02 तमंचे 315 बोर 04 जिंदा कारतूस ।

आपराधिक इतिहास-

1. रामपाल सिंह यादव पुत्र रामस्वरूप नि० ग्राम खितौरा थाना बकेवर इटावा ।

1. मु०अ०सं० 157/88 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर इटावा
2. मु०अ०सं० 285/94 धारा 376 भादवि थाना बकेवर इटावा
3. मु०अ०सं० 101/96 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बकेवर इटावा
4. मु०अ०सं० 278/96 धारा 3/5 गुंडा एक्ट
5. मु०अ०सं० 236/97 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बकेवर इटावा
6. मु०अ०सं० 313/01 धारा 3/25 ए आर्म्स एक्ट थाना बकेवर इटावा
7. मु०अ०सं० 314/01 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बकेवर इटावा
8. मु०अ०सं० 14/02 धारा 3/5 गुंडा एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा
9. मु०अ०सं० 12/11 धारा 379 भादवि भैंस चोरी ।
10. मु०अ०सं० 107/10 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बकेवर ।
11. मु०अ०सं० 182/10 धारा 3/25 ए आर्म्स एक्ट थाना बकेवर इटावा
12. मु०अ०सं० 132/12 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बकेवर
13. मु०अ०सं० 373/13 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बकेवर
14. मु०अ०सं० 95/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर इटावा
15. मु०अ०सं० 273/21 धारा 3/8 गौवध निवारण अधि० थाना बकेवर
16. मु०अ०सं० 287/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर इटावा

2. आमीन उर्फ राजू कुरैशी पुत्र अब्दुल सलाम नि० मो० अम्बेडकरनगर थाना बकेवर इटावा

1. मु०अ०सं० 14/12 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बकेवर ।
2. मु०अ०सं० 447/11 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना बकेवर
3. मु०अ०सं० 273/21 धारा 3/8 गौवध निवारण अधि० थाना बकेवर
4. मु०अ०सं० 288/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर इटावा

पुलिस टीम- श्री राजेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बकेवर, उ०नि० प्रेम चन्द्र, उ०नि० अजय कुमार, उ०नि० नितिन कुमार, का० अरुण कुमार, का० अरविंद कुमार, का० अवनीश कुमार, का० अंकित ।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा